

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

5/12/17

निर्णय :- दिनांक 25.9.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.7.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई, गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा, संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल सहज पुत्र इन्द्रजीत कौम राजेश निवासी राजाखेडा तहसील राजाखेडा ने आराजी खसरा नम्बर 70 किस्म राजेश रकबा 0.05 वाके ग्राम राजाखेडा पर राजाखेडा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात् रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है। खड़ी फसल जब्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते हैं। शरह लगान 0.30 की 50 गुनी से शास्ति राशि 15/- रुपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

दिनांक 15 मास 49 इम सं 03  
हो गई  
TRA  
राजाखेडा

पु  
(पुरुषोत्तमलाल)  
आर0टी0एस0  
तहसीलदार, राजाखेडा